न्यायालय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्रं. / 2015 पुनरीक्षण

भग्गू पुत्र मुलुवा चमार
निवासी ग्राम चन्द्रनगर तहसील राजनगर
जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदिका

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, छतरपुर

..... अनावेदक

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा प्र.क्रं. 110/अ–19(4)/स्व. निग./05–06 में पारित आदेश दिनांक 9.4.2015 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ पुनरीक्षण न्यायालय अपर कलेक्टर, छतरपुर द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यह कि, आवेदक द्वारा वादग्रस्त भूमि सर्वे नं. 675 रकवा 2.250 हे. भूमि ग्राम चन्द्रनगर तहसील राजनगर में स्थित भूमि का अपने नाम व्यवस्थापन कराने हेतु विधिवत तहसील न्यायालय में आवेदन किया था जिस पर से तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत प्रकरण कमांक 08/अ–19(4)/2001–02 दर्ज कर समुचित जांच व कार्यवाही करते हुये आवेदक के हित में भूमिस्वामी अधिकारों में सर्वे नं. 675 रकवा 2.250 हे. भूमि पर आदेश दिनांक 29.7.02 द्वारा भूमिस्वामी घोषित किया ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1017-दो/2015 जिला छतरपुर भग्गू विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 110/अ-19(4)/स्व.निग./2005-06 में पारित आदेश दिनांक 09-04-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 07-05-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 10.1.19
सदस्य